

प्रारूप-3

भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)
प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या:- FP/UK/WATER/41746/2019

7- परियोजना / स्कीम की अवस्थिति	
(i) राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	उत्तराखण्ड
(ii) जिला	टिहरी गढ़वाल
(iii) जिला वन प्रभाग	टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी
(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	आरक्षित वन क्षेत्र सारजुला क0सं0-01 में 0.22 है0, मनियार क0सं0-12 में 0.0634 है0, मनियार क0सं0-13 में 0.0528 है0, मनियार क0सं0-14 में 0.0336 है0 तथा सिविल एवं सोयम भूमि 0.5382 है0, कुल-0.908 है0
8- पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रस्थिति	वन विभाग एवं राजस्व विभाग के स्वामित्व की भूमि
9- अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा	संलग्न है
(i) वन का प्रकार	आरक्षित एवं सिविल सोयम वन भूमि
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व	0.1
(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणामा	संलग्न है
(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा	-
10- भूक्षण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार
11- वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी	आरक्षित वन के अन्दर
12- वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता	
(i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्वमान वन्यजीव का व्यौरा	नहीं
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रयास गलियारे आद के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियाँ उपाबद्ध की जाएं)	नहीं
(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि0मी0 के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका और टिप्पणियाँ उपाबद्ध की जाएं)	नहीं
(iv) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि0मी0 के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका और टिप्पणियाँ उपाबद्ध की जाएं)	नहीं
(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जन्तु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियाँ हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे	नहीं
13- क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किये जाने के लिये सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन0ओ0सी0) के साथ उसका व्यौरा दें)	नहीं

14— पूर्वक्षण के लिये उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका—टिप्पणियाँ दें।	
(i) क्या भाग—1 में पैरा 6 और पैरा 7 में प्रायोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिये अति न्यूनतम है	भूमि की मांग न्यूनतम है
(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किये गये क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है	-
15— किये गये अतिक्रमण के ब्यौरे :	नहीं
(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ या नहीं)	अतिक्रमण नहीं किया गया है
(ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि अतिक्रमण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति/व्यक्तियों के का नाम पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के विरुद्ध की गई कार्यवाही	नहीं
(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ या नहीं)	क्षतिपूरक वनीकरण लागू नहीं है।
16— क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :	प्रभावित वृक्षों के एवज में 10 गुना वृक्षों की वृक्षारोपण योजना संलग्न की गई है।
(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिये पहचान की गई वन भूमि की विधि प्रसिद्धि	नहीं।
(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिये पहचान किये गये गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें	नहीं।
(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिये पहचान किये गये गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमायें संलग्न हैं	नहीं।
(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न है (हाँ / नहीं)	नहीं।
(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय उपपरिव्यय	नहीं।
(vi) क्षतिपूरक वनरोपण के लिये और प्रबन्धन के दृष्टिकोणों से पहचान किये गये क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में उप वन संरक्षक से प्रमाण पत्र संलग्न है (हाँ / नहीं)	नहीं।
17— वनस्पति और जीव जन्तु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हाँ / नहीं)	हाँ
18— स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिये उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें	स्थानीय ग्रामवासियों की सुविधा एवं क्षेत्र के विकास के लिये वन संरक्षण अधिनियम—1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत वन भूमि का 30 वर्षों की लीज पर हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है।

स्थान— नई टिहरी

दिनांक— 22/01/2020

प्रभावित वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी